(iv) बी ओ टी मॉडल का उपयोग, सामान्यतया निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किया जाएगा और रियायत अवधि के बाद परिसंपत्तियां निशुल्क पत्तन को लौटा दी जाएंगी। इसका मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंड के आधार पर किया जाएगा और यह एन पी वी विश्लेषण का प्रयोग करके पत्तन के लिए अधिकतम वसूली के आधार पर होगा।

(v) प्रत्येक मामले में रियायत अवधि संबंधित पत्तन द्वारा नियत की जाएगी जो 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(vi) पत्तन संभावित वित्तीय लाभ अथवा यातायात के लिए कोई गारंटी नहीं देगा।

(vii) टैरिफ प्राधिकरण टैरिफ की एक सीमा नियत कर सकता है और निजी उद्यमी, उद्यमी द्वारा नियत की जाने वाली दरों पर टैरिफ सीमा तक प्रभार वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि टैरिफ प्राधिकरण संतुष्ट हो तो न्यायोचित आधार पर टैरिफ में उपयुक्त रूप से आवधिक बढ़ोत्तरी की अनुमति दी जा सकती है।

(viii) निजी क्षेत्र की सहभागिता खुली प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर होगी, जो दोहरी रक्षा प्रणाली पर आधारित होगी।

(ix) पत्तन न्यासों द्वारा उपकरण/पत्तन क्राफ्ट और पायलटेड के पट्टे पर लेने में मूल्यांकन का मापदंड पत्तनों की न्यूनतम लागत होगी।

(x) पत्तन श्रमिकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रमिकों की सहमति के बगैर कोई छंटनी नहीं की जाएगी और यह छंटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम और संगत श्रम कानूनों के अनुसार की जाएगी। पट्टाधारक देश के सभी ऋण कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं

397. श्री जयसिंह चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की कोई नई विशेष योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का जनसंख्या नियंत्रण हेतु बढ़िया तथा बेहतर किस्म की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराने का भी विचार है,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई सलाह अथवा सहायता दी है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) सामुदायिक पुरस्कार योजना नामक एक नई योजना 1996 में शुरू की गई है जिसके अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रत्येक जिले में 500 से अधिक जनसंख्या वाले एक राजस्व गांव, जिसकी आशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर सबसे कम होती है को 2 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत वितरित की जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत निर्धारित किये गये गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुरूप होती हैं।

(च) और (छ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां बनाने के लिए सामग्री सहायता के रूप में कच्चा माल दिया है।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा): महोदय, मैं आपकी अनुमति से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के सफलतापूर्वक छोड़े जाने के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

महोदय, मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को अपनी बधाईयां और समस्त देश की शुभ कामनाएं देने के लिए सभा के समक्ष खड़ा हूँ जिन्होंने कल 250 कि.मी. की दूरी की श्रेणी वाले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है। जैसा कि

विदित है कि यह प्रक्षेपास्त्र भारतीय वायु सेना के प्रयोग के लिए है और इससे हमारी रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी। जैसा सभा को मालूम है, हमने इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता पर विशेष बल दिया है और कल का सफल प्रक्षेपण इस कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसके समर्पित वैज्ञानिकों के दल ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी सराहना करने में मेरा साथ देगी।

अपरान्ह 12.02 बजे

[अनुवाद]

(ले) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रधानमंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा): एक सुविचारित और उपयुक्त रूप से कार्य कर रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथापि, मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए कार्य करने में असफल रहने, शहरी क्षेत्रों के प्रति उसके झुकाव तथा सुपुर्दगी के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक रूप से आलोचना हुई है। इस बात को समझते हुए, सरकार का गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा सुपुर्दगी प्रणाली की बेहतर मॉनीटरिंग के साथ उन्हें विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तुएं बेचकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का प्रस्ताव है।

जैसाकि 1996-97 के केन्द्रीय बजट में कह गया है, इस संबंध में शुरूआत अर्थात खाद्यान्न जारी करके करने का प्रस्ताव है, जिसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जाती है।

प्रारंभ में योजना आयोग द्वारा प्रो० लाकडावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके निकाले गए 1993-94 के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को विशेष राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति परिवार, प्रति माह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जैसाकि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी, राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों में खाद्यान्न के औसत उठान को इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इस औसत उठान में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, उसे राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर अस्थायी आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

सरकार का सुनिश्चित रोजगार स्कीम और जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिए भी 1 कि.ग्रा. चावल/गेहूं प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी करने का प्रस्ताव है।

यह सर्वविदित है कि चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1.2.1994 से संशोधन नहीं किया है। इसके बाद से चावल और गेहूं दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः तीन और चार बार वृद्धि की जा चुकी है। इन संशोधनों और अन्य आनुषंगिक खर्चों में वृद्धि और इसी समय लोगों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

निर्गम मूल्य रु./कि.ग्रा.	चावल			गेहूं	कुल राजसहायता
	कॉमन	ग्रेडेड	सुपर ग्रेडेड		
1. गरीबी रेखा से नीचे	3.50	3.50	-	2.50	8282.90
2. गरीबी रेखा से	-	6.50	7.50	4.50	

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बुनियादी रूप में गरीबों पर केन्द्रित है और इससे गरीबी रेखा से नीचे के 32 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य राज सहायता की राशि लगभग आठ हजार करोड़ रुपये की होगी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 180 लाख मी. टन खाद्यान्न जारी किये जाने की संभावना है।

कोई भी राज्य जो बड़ी संख्या में लोगों को इस स्कीम में शामिल करना चाहता है या दी जाने वाली मात्रा के पैमाने में वृद्धि करना या मूल्य कम करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वह अपने स्वयं के संसाधनों से खाद्यान्नों और निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ-भोगियों की पहचान करना, उन्हें विशेष कार्ड जारी करना और इन अभिप्रेत लाभ-भोगियों के लिए खाद्यान्नों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1363/97]। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकारें इन दिशा निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगी और इस बात पर नजर रखेंगी कि हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों को खाद्यान्नों की उनकी हकदारी बिना नागा नियमित रूप से मिलती रहे।